न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 96/2018

1 नवाब अली आयु 56 साल पुत्र आलम अली खां जाति कायमखानी मुसलमान निवासी ग्राम भगासरा तहसील फतेहपुर जिला सीकर। मो.नं. 9783588558

अपीलांटस

बनाम

1 आलम अली खां आयु 79 साल पुत्र रहीम खां (नाम हजफ दिनांक 04.11.2025)
2 लियाकत अली आयु 61 साल पुत्र आलमअली खां
3 युनुस अली आयु 58 साल पुत्र आलम अली
4 अरशद अली आयु 51 साल पुत्र आलमअली खां
5 अनवर अली आयु 47 साल पुत्र आलमअली खां
समस्त जाति कायमखानी मुसलमान निवासी ग्राम भगासरा तहसील फतेहपुर जिला सीकर।
6 पटवार हल्का भींचरी तहसील फतेहपुर जिला सीकर।
7 उप पंजीयक फतेहपुर जिला सीकर राज.।
8 तहसीलदार फतेहपुर जिला सीकर राज.।

रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय दिनांकित 16.04.2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर पीठासीन अधिकारी रेनू मीणा आरएएस मुकदमा नं. 30/2017 दावा उनवानी नवाब अली खां आलत अली खां वगै.

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री राहुल पारिक, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री प्रभातीलाल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 12/5/26

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर द्वारा मुकदमा नम्बर 30/2017 में पारित निर्णय दिनांक 16.04.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलान्ट ने एक वाद उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 21, 210 वाके ग्राम भगासरा तहसील फतेहपुर व भूमि खसरा नम्बर 20, 21, 22, 23, 83, 84 वाके ग्राम आलमास तहसील फतेहपुर का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी आदेश 07 नियम 11 सीपीस के तहत खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने तर्क दिया कि अपीलान्ट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 01.09.2017 को अपीलाधीन वाद प्रस्तुत किये जाने पर अपीलाधीन वाद दर्ज रजिस्टर किया गया और रेस्पोडेन्टस की तलबी हेतु नोटिस जारी किये जाकर पत्रावली में तारीख पेशी दिनांक 04.10.2017 निर्धारित कर दी गयी। दिनांक 04.10.2017 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 की ओर से श्री भीमसिंह वकील ने वकालतनामा प्रस्तुत किया तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से एक आवेदन अ. आदेश 07 नियम 11 सीपीसी प्रस्तुत किया जाकर पत्रावली आदेश 07 नियम 11 के जवाब व शेष प्रतिवादी की तलबी हेतु चलती रही। दिनांक 04.10.2017 को रेस्पोडेन्ट संख्या 4 की पुनः तलबी कराने हेतु आदेश दिये गये। विचारण न्यायालय ने वाद में सभी प्रतिवादीगण की तलबी नहीं

प्रबन्ध अधिकारी
राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

करवाई। रेस्पोडेन्ट संख्या 4 की न तो तलबी करवाई गई और न ही उसके खिलाफ एकपक्षीय आदेश पारित किया गया। इस कारण विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय स्थिर रहने योग्य नहीं है तथा निरस्त किये जाने योग्य है। विवादित कृषि भूमियों पर अपीलान्ट अपने दादा की जीवन काल से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है, केवल खाततेदारी में नाम अंकित नहीं होने के कारण उसे उसके कब्जे से बेदखल नहीं किया जा सकता। अपीलान्ट द्वारा अपने वाद में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है उसका कब्जा अपने दादा के समय से चला आ रहा है, किन्तु चिवारण न्यायालय ने इस तथ्य की ओर गौर न कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपने आवेदन में गलत झूठे अभिकथन को सत्य मानते हुए अपीलान्ट का वाद निराधार रूप से खारिज कर दिया गया, जो आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के प्रावधानों के विपरित होने के कारण विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय स्थिर रहने योग्य नहीं है तथा खारिज किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदन अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा.दी. के अन्तर्गत प्रस्तुत कर वाद को खारिज करने का निवेदन किया गया है किन्तु विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि सिविल प्रकिया संहिता 1908 आदेश 07 नियम 11 (डी)का हवाला देकर वादी का वाद कानूनी प्रावधानों के विपरित जाकर खारिज किया गया है। इस कारण भी विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय स्थिर रहने योग्य है तथा खारिज किये जाने योग्य है। आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का आवेदन उसी परिस्थिति में स्वीकार किया जाता है कि जहां विधि के विपरित जाकर माननीय न्यायालय के समक्ष कार्यवाही की गई हो किन्तु अपीलान्ट द्वारा अपने वाद में विवादित भूमि पर कब्जा अपने दादा के समय से चला आ रहा है होने का तथ्य अंकित किया गया है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने आवेदन को अपीलान्ट का कब्जा नहीं होने के तथ्य को नकारा नहीं गया है, इस कारण भी विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय स्थिर योग्य नहीं है तथा निरस्त किये जाने योग्य है।

भू-प्रबन्ध
राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलान्ट ने एक वाद उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 21, 210 वाके ग्राम भगासरा तहसील फतेहपुर व भूमि खसरा नम्बर 20, 21, 22, 23, 83, 84 वाके ग्राम आलमास तहसील फतेहपुर का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज कर दिया। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 कायमखानी मुसलमान होकर मुसलमान धर्म के अनुयायी है और उपर मुस्लिम विधि लागू होती है। वादी प्रतिवादी संख्या 1 का पुत्र है जिसे प्रतिवादी संख्या 1 आलम अली के जीवनकाल में वादग्रस्त भूमियों में कोई हक हिस्सा व कब्जा हासिल नहीं हो सकता है और ना वादी प्रतिवादी संख्या 1 के खिलाफ उनके जीवनकाल में कोई वाद ला सकता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ में कॉपार्सनरी व पैत्रिक भूमि संबंधी कोई व्यवस्था नहीं है। वादी ने यह दावा विधि विरूद्ध पेश किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी विधि द्वारा वर्जित मानकर वाद आदेश 07 नियम 11 के तहत खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट मियाद का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपील मियाद एवं गुणावगुण दोनों पर खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय में वादी अपीलान्ट ने एक वाद उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 21, 210 वाके ग्राम भगासरा तहसील फतेहपुर व भूमि खसरा नम्बर 20, 21, 22, 23, 83,

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

84 वाके ग्राम आलमास तहसील फतेहपुर का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी आदेश 07 नियम 11 सीपीस के तहत खारिज कर दिया।

विचारण न्यायालय के विचाराधीन निर्णय में विवेचित किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत आवेदन का जवाब वादी द्वारा पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद पेश नहीं किया। वादी की जवाब देही बंद की गयी। प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता की एकतरफा सुनी गयी। वादी की ओर से गत तीन चार पेशी से बहस हेतु वादी अधिवक्ता उपस्थित नहीं है। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से राजस्थान रेवेन्यू बोर्ड अजमेर के आदेश दिनांकित 15.02.2017, सिविल प्रकिया संहिता, 1908 आदेश 07 नियम 11(डी) की प्रतिलिपि पेश की। प्रतिवादी संख्या 1 की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया। सिविल प्रकिया संहिता 1908 आदेश 07 नियम 11 (डी) के अनुसार मुस्लिम विधि में पैतृक सम्पत्ति की धारणा पाने का हकदार नहीं है।

प्रस्तुत प्रकरण में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 कायमखानी मुसलमान होकर मुसलमान धर्म के अनुयायी है और उन पर मुस्लिम विधि लागू होती है। वादी प्रतिवादी संख्या 1 का पुत्र है जिसे प्रतिवादी संख्या 1 आलम अली के जीवनकाल में वादग्रस्त भूमियों में कोई हक हिस्सा व कब्जा हासिल नहीं हो सकता है और ना वादी प्रतिवादी संख्या 1 के खिलाफ उनके जीवनकाल में कोई वाद ला सकता है।

मुस्लिम पर्सनल लॉ में कॉपार्सनरी व पैत्रिक भूमि संबंधी कोई व्यवस्था नहीं है। वादी ने यह दावा विधि विरूद्ध पेश किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी विधि द्वारा वर्जित मानकर वाद आदेश 07 नियम 11 के तहत खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

निर्णय आज दिनांक 18/5/26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन उपखण्ड अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
राजस्व अपील अधिकारी
सीकर